20/4/14

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी की व प्रतिवादीगण की आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील प्रतिवादी व प्रतिवादीगण मामलात में हाजिर नहीं होने पर प्रतिवादीगण का काफ्रट वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर दफ्तर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(4)